

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

निर्णय दिनांक: 29.11.19

मिसल नं०:- 17/19


अनवान:- स्टेट जरिये प0ह0 गंगाशहर बनाम पूनमचन्द पुत्र श्री भतमाल कच्छावा जाति माली-
निवासी सुजानदेसर

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगाशहर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल पूनमचंद पुत्र श्री भतमाल कच्छावा जाति माली निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं० 82 के तादादी 7000 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज रूप से बाडा एवं कमरें बना कर राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया तथा नियमानुसार तामिल कराया गया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता श्री उमाशंकर व्यास तथा अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पुरोहित ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी द्वारा गोचर भूमि पर जानबूझ कर अतिक्रमण किया गया है।

गैर सायल पूनमचंद पुत्र श्री भतमाल कच्छावा जाति माली निवासी सुजानदेसर द्वारा सुजानदेसर के खसरा सं० 82 के तादादी 7000 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा-91 के प्रावधानों के अनुसार पूनमचंद पुत्र श्री भतमाल कच्छावा जाति माली को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 7000 वर्गफीट पर भू-राजस्व की दर रू० प्रति वर्गफीट से रकम रू० का 50 गुणा कुल राशि रू० का तावान आरोपित किया जाता है। उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बीकानेर तथा पटवारी प0ह0 गंगाशहर को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय गै०मु० गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।


नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर